न्यायालय–उपखण्ड अधिकारी सांचौर, जिला–सांचौर

पीठासीन अधिकारी :– बद्रीनारायण विश्नोई (आर.ए.एस.)

राजस्व विविध प्रकरण सं. 09/2022 **किस्म:–** धारा 111,128 आर.एल.आर. एक्ट 1956

प्रार्थी

1. सजाराम पुत्र जेहाराम जाति कोली निवासी कैलाश नगर अचलपुर तह–सांचौर जिला जालोर वर्तमान जिला सांचौर।

बनाम

अप्रार्थीगण

1. भूमिधारी तहसीलादार सांचौर।

उपस्थित:–

1. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री ईब्राहीमशाह ।
2. अप्रार्थी की ओर से राजपैरोकार तहसीलदार सांचौर।

निर्णय **दिनांक** 09.09.023

प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अदालत हाजा में उपस्थित होकर धारा 111,128 आर.एल.आर. एक्ट 1956 के तहत प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया, कि प्रार्थी गांव कैलाश नगर अचलपुर का मूल निवासी है। जहां पर प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 1308/878 रकबा 0.22 हैक्टर, खसरा नम्बर 1307/877 रकवा 1.50 हैक्टर भूमि आई हुई है। प्रार्थी की खातेदारी भूमि के पश्चिमी दिशा में खसरा नम्बर 878 की भूमि आई हुई है। जिसके खातेदार ने माठ को तौड़कर पुरानी माठ के अलामात मिटा दिये, तो प्रार्थी ने तहसीलदार सांचौर के कार्यालय में उपस्थित होकर भूमि पैमाईश कराने हेतु प्रार्थना पत्र दिनांक 20.10.2022 को पेश किया, जिसपर भूमिधारी तहसीलदार सांचौर द्वारा प्रार्थी के आवेदन को रजिस्ट्रर के पृष्ठ संख्या 84,क्रमांक संख्या 58, दिनांक 02.11.2022 को दर्ज किया गया और जांच तथा रिपोर्ट के लिए हल्का पटवारी अचलपुर को आदेशित किया गया।

तहसीलदार सांचौर के उक्त आदेश की पालना में हल्का पटवारी अचलपुर मौके पर आये तथा मौका देखा तो मौके पर प्रार्थी के उक्त खेत की पश्चिम दिशा की माठ ट्रैक्टर चला कर हटा दी गई थी। तथा हल्का पटवारी को मौके पर पैमाईश नही करने दी। प्रार्थी उक्त भूमि का खातेदार तथा अपनी भूमि की पैमाईश कर सीमाज्ञान के अनुसार पत्थरगढी करवाने का कानूनी अधिकार होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 11,128 आर.एल.आर. एक्ट 1956 का माननीय अदालत में पेश किया।

प्रार्थना पत्र दिनांक 07.11.2022 को दर्ज रजिस्ट्रर होकर अप्रार्थी को नाटिस जारी किया गया। अप्रार्थी राजपैरोकार को [illegible].07.2023 को नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुआ। अप्रार्थी ने जवाब दिनांक 25.07.2023 को पेश [illegible] किया कि प्रार्थना पत्र का

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2023.12.08 18:00:03 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

Scanned with OKEN Scanner

पेरा संख्या 01 राजस्व रेकर्ड के अनुसार सही है। प्रार्थी द्वारा भूमि पैमाईश का आवेदन करने पर हल्का पटवारी को आदेशित किया, लेकिन विवाद की स्थिति में भूमि पैमाईश नही कर सीमाज्ञान नही हो पाया। प्रार्थी के खातेदारी भूमि की पैमाईश की जाती है तो भूमिधारी को कोई आपत्ति नही है।

मैंने पत्रावली का अध्ययन एवं अवलोकन किया तथा दोनों पक्षों की बहस सुनी। प्रार्थी ने गांव कैलाशनगर अचलपुर पटवार हल्का अचलपुर तहसील सांचौर में स्थित अपनी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 1308/878 रकबा 0.22 हैक्टर व खसरा नम्बर 1307/877 रकबा 1.50 हैक्टर भूमि के पश्चिमी माठ की तरफ भूमि की पैमाईश कर पत्थर गढ्ढी करने का प्रार्थना पत्र पेश किया है, प्रार्थना के साथ संलग्न जमांबदी, नक्शा व हल्का पटवारी की मौका फर्द के अनुसार प्रार्थी के उक्त खातेदारी खेत की माठ के अलामात मिटाये जाने एवं उनका सीमाज्ञान कर पत्थर गढढ़ी किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है।

प्रार्थी द्वारा पेश धारा 111,128 भू–राजस्व अधिनियम 1956 का स्वीकार किया जाता है।

आदेश

मौजा कैलाशनगर अचलपुर पटवार हल्का अचलपुर तहसील सांचौर जिला जालोर वर्तमान जिला सांचौर में स्थित प्रार्थी सजाराम पुत्र जेहाराम जाति कोली की खातेदारी भूमि नवीन खसरा नम्बर 1308/878 रकबा 0.22 हैक्टर व खसरा नम्बर 1307/877 रकबा 1.50 हैक्टर भूमि की पैमाईश कर पत्थर गढढ़ी करने का आदेश भूमिधारी तहसीलदार साचौर को दिया जाता है। भूमिधारी तहसीलदार साचौर भूमि की पैमाईश एवं पत्थरगढढ़ी करने हेतु टीम गठित कर मय पुलिस ईमदाद के आदेश की पालना सुनिश्चित करे। आदेश की पालना हेतु अलग से तहसीलदार सांचौर को तहरीर जारी हो।

(बद्रीनारायण विश्नोई आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी सांचौर
सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

उक्त आज दिनांक 09.09.2023 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(बद्रीनारायण विश्नोई आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी सांचौर
सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2023.12.08 18:00:03 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner